UPFZ010037082026

Bail Application Reg. No./1297/2026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–7, अयोध्या।

रामकुमार दास बनाम सरकार उ0प्र0
मु0अ0सं–89/2026
धारा–319(2),338,336(3),340(2),61(2)(ए) बी.एन.एस.
थाना–को0 अयोध्या
जनपद–अयोध्या।

दिनांक 09.07.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **रामकुमार दास** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–89/2026 अंतर्गत धारा–319(2),338,336(3),340(2),61(2)(ए) बी.एन.एस., थाना को0 अयोध्या, जिला अयोध्या में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शिव शेवक का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय पर न तो दिया गया है, न ही निर्णीत हआ है और न ही विचाराधीन है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट/वादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ''प्रार्थी मं. मदन मोहन दास चेला स्व राम स्वरूप दास उर्फ निमिया बाबा मंदिर जानकी निवास मोहल्ला प्रमोद वन थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद–अयोध्या का रहने वाला है तथा उपरोक्त मंदिर का महन्त व सरवराहकार है। स्व. राम स्वरूप दास उर्फ निमिया बाबा के दो शिष्य थे, जिसमें एक सुदामा दास एवं दूसरा प्रार्थी स्वयं है। प्रार्थी के गुरु की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी मंदिर व उससे सम्बन्धित सम्पत्तियों जो जिले से बाहर अथवा अन्य राज्यों में स्थित है, उनकी देख–रेख के सम्बन्ध में अक्सर बाहर रहता था तथा गुरुभाई स्व. सुदामा दास जानकी निवास मंदिर अयोध्या की देख–रेख करते थे। सुदामा दास की मृत्यु दिनांक 23.03.2025 को हो गयी है। प्रार्थी के गुरु महन्त राम स्वरूप दास एवं गुरू भाई सुदामा दास के मृत्यु के बाद अब प्रार्थी ही केवल उक्त मन्दिर का महन्त व सरवराहकार है तथा कब्जा व दखल में है। प्राथी के गुरु महन्त राम स्वरूप दास ने अपने

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.07.09 16:53:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जीवनकाल में दिनांक 20.11.2016 को अयोध्या के समस्त प्रतिष्ठित संत व महत्माओं की उपस्थिति में प्रार्थी को कन्ठी चादर देकर एवं विशाल भण्डारे का आयोजन कर एक महज्जरनामा स्वयं तहरीर कर मंदिर व उससे सम्बन्धित समस्त चल व अचल सम्पत्ति का महन्त व सरवराहकार नियुक्त कर दिया था। सुदामादास की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 14.07.2025 को आयोजित भण्डारे में भी अयोध्या के सम्मानित साधु, सन्तों ने पुनः कंठी चादर देकर महज्जरनामा निष्पादित कर उक्त मंदिर का महन्त बनाया। विपक्षीगण से उपरोक्त मंदिर का कोई वास्ता व सरोकार नही है। वह जाल–साज किस्म के लोग है। महन्त सुदामा दास की तेरहवीं दिनांक 04.04.2025 आयोजित करके विपक्षी राम कुमार दास कथित चेला चेतन दास, संजय मिश्रा, बलराम, सत्यम, राम आशीष, अशोक, व शिवम आपस में एकराय होकर प्रार्थी के मंदिर को हड़पने की नियत से जाल–साजी व कूट–रचना कर उक्त मंदिर के सम्बन्ध में एक फर्जी महज्जरनामा विपक्षी सं०–1 राम कुमार दास के पक्ष में उसे स्व. सुदामा दास का शिष्य होने का झूठा कथन करके तैयार किया। उसे दिनांक 26.04.2025 को कार्यालय उप–रजिस्ट्रार सदर, जिला–अयोध्या में पंजीकरण भी कराया। उक्त महज्जरनामा पर अयोध्या के कई सन्त व महन्त का फर्जी हस्ताक्षर बनाया उन संत व महात्माओं के हस्ताक्षर में शामिल महन्त कमल नयन दास छोटी छावनी अयोध्या, महन्त सिया बिहारी दास बाटी घाट अयोध्या, महन्त सुदामा दास इच्छा बिहारी सदन अयोध्या, स्वामी रामानन्द राम की पैड़ी अयोध्या, महन्त हरी मोहन शरण नयाघाट अयोध्या, ने प्रार्थी को नोटरी बयान हल्फी देकर कहा है कि राम कुमार द्वारा लिखाये गये महज्जरनामा पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार प्रश्नगत मंदिर के स्वामी स्व महन्त राम स्वरूप दास के बाद एक मात्र उत्तराधिकारी व सरवराहकार प्रार्थी ही है तथा विपक्षीगण द्वारा फर्जी व कूटरचना करके उक्त मंदिर का झूठा महज्जरनामा पंजीकृत कराया गया है जो गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना सम्बन्धित थाने पर दिया था, कोई कार्यवाही न होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अयोध्या को दिनांक 25.09.2025 को उक्त मामले में एक प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दे रहा है। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया था, जिस न्यायालय के आदेश के पश्चात उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण रामकुमार दास, संजय मिश्रा, बलराम दास, सत्यम, राम आशीष, अशोक पाण्डेय व शिवम के विरूद्ध मु0अ0सं0–89/2026 अंतर्गत धारा–319(2),338,336(3),340(2),318(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया। थाने की आख्या के अनुसार प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि ''प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। उक्त मुकदमें के

वादी मुकदमा ने ईष्या एवं द्वेषवश पार्टीबन्दी में प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से रंजिशन एवं झूंठे तौर पर फंसाया है। उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य तथा वादी मुकदमा के बयान आपस में विरोधाभाषी है। वास्तविकता यह है कि श्री जानकी निवास मंदिर प्रमोदवन अयोध्या के तत्कालीन महन्त व सरबराहकार स्व० रामस्वरूप दास उर्फ नीमिया बाबा ने अपने जीवन काल में उक्त मुकदमें के वादी मुकदमा मदन मोहन दास के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित 25.07.2005 तहरीर किया था। परन्तु वादी मुकदमा मदन मोहन दास के गलत चाल चलन व गन्दे आचरण के कारण महन्त स्व० राम स्वरूप दास उर्फ नीमिया बाबा ने अपने जीवन काल में ही वादी मुकदमा मदन मोहन दास के पक्ष में तहरीर वसीयतनामा दिनांकित 25.07.2005 को दिनांक 14.11.2008 को रजिस्ट्रीकृत रूप से निरस्त कर दिया। तदोपरान्त तत्कालीन महन्त राम स्वरूप दास उर्फ नीमिया बाबा ने अपने जीवन काल में अपने आज्ञाकारी शिष्य सुदामा दास के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित 17.11.2016 तहरीर कर दिया। महन्त रामस्वरूप दास उर्फ नीमिया बाबा के स्वर्गोपरान्त सुदामा दास श्री जानकी निवास मन्दिर प्रमोद वन अयोध्या के महन्त व सरवराहकार हुए। महन्त सुदामा दास के मृत्यु के पश्चात प्रार्थी महज्जरनामा के आधार पर श्री जानकी निवास मन्दिर प्रमोद वन अयोध्या का महन्त व सरवराहकार हुआ, जिसके सम्बन्ध में सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञाआदेश प्रार्थी के पक्ष में तथा वादी मुकदमा मदन मोहन दास एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध पारित किया गयाए है। उक्त मुकदमें का वादी मुकदमा मदन मोहन दास श्री जानकी निवास मन्दिर प्रमोदवन अयोध्या का जबरन विधि विरूद्ध तरीके से महन्त बनकर मन्दिर व पूर्व महन्तों की सम्पत्ति को हड़पने के प्रयत्न में है। जिसका प्रार्थी द्वारा विरोध किया जाता रहा है, इसलिए वादी मुकदमा मदन मोहन दास द्वारा प्रार्थी को उक्त झूठे मुकदमें में फंसाकर दबाव बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा हैरान व परेशान किया जा रहा है। उक्त मुकदमें के वादी मुकदमा मदन मोहन दास ने श्री जानकी निवास मन्दिर के पूर्व महन्त स्व० सुदामा दास की जमीन को हड़पने के लिए अपने पक्ष में फर्जी नामान्तरण आदेश का अंकन करते हुए फर्जी खतौनी की कूटरचना किया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने एफ०आई०आर० भी दर्ज करायी है। जिसका मु०अ०सं०–0230/2026, धारा–318(4), 338, 340(2), 336(3) बी०एन० एस० थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में दर्ज है। श्री जानकी निवास मन्दिर प्रमोदवन अयोध्या के महंताई एवं उक्त मन्दिर से जुड़ी अन्य सम्पत्तियों के बावत कई दीवानी/राजस्व मुकदमें सक्षम दीवानी/राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है। जिसमें उक्त मुकदमें का वादी मुकदमा मदन मोहन दास पक्षकार है। उक्त मामला सिविल प्रकृति का है जिसे वादी मुकदमा के द्वारा जबरदस्ती फौजदारी मुकदमें की रंगत दिये जाने का प्रयत्न किया गया है। उक्त मुकदमें के वादी मुकदमा मदन मोहन दास ने प्रार्थी पर दबाव बनाने व श्री जानकी निवास मन्दिर

प्रमोदवन अयोध्या का विधि विरूद्ध तरीके से महन्त बनने तथा प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से झूठी कहानी गढ़ते हुए अत्यन्त विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। उपरोक्त वर्णित मामले में अभिकथित अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी सुसंगत साक्ष्य नहीं है। पुलिस द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गयी है। प्रार्थी ने दिनांक 16.05.2026 को श्रीमान जी के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया था जो बाद स्थानांतरण श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम महोदय, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन थी परन्तु इसी बीच पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण प्रार्थी का उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व्यर्थ (In fructuous) हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 30.05.2026 को न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम महोदय, फैजाबाद द्वारा प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया गया। प्रार्थी उक्त मामले में पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2026 से गिरफ्तार किया गया है तथा प्रार्थी दिनांक 25.05.2026 जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित मुकदमें में जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–480 बी०एन०एस०एस० न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 06.06.2026 को निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी बीमार व्यक्ति है जिसका दवा इलाज चल रहा है। प्रार्थी शान्तिप्रिय एवं विधि आबद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी विधि में पूर्णरूपेण विश्वास करता है और प्रार्थी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो विधि के प्रतिकूल हो। प्रार्थी समाज का सम्मानित व्यक्ति है, इसलिए प्रार्थी के भागने व फरार होने की कोई सम्भावना नहीं हैं। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप जमानत पेश करने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित मुकदमें में जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए।''

अभियुक्त की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची के माध्यम से निरस्त पत्र वसीयतनाम दिनांकित 14.11.2008 की छायाप्रति, वसीयतनाम दिनांकित 17.11.2016 की छायाप्रति, मुख्तारनामा आय दिनांकित 04.06.2018 की छायाप्रति, दावा बाबत ठाकुर राघवेन्द्र बिहारी जी आदि बनाम राम कुमार दास की छायाप्रति व आदेश दिनांकित 16.07.2025 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी मलिहाबाद की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

6. वादी मुकदमा/अभियोजन की ओर से उसके निजी विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त व प्रकरण के सह–अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र

के तहत सुनियोजित योजना बनाकर श्री जानकी निवास मंदिर की बहुमूल्य संपत्ति को हड़पने के आशय से प्रतिष्ठित संत महंतों के नाम से कूटरचित हस्ताक्षर करके स्व. सुदामा दास की इच्छानुसार लिखकर एक कूटरचित महज्जरनामा तैयार किया गया और उसी कूटरचित महज्जरनामा पर प्रतिष्ठित संतों के नाम के फर्जी हस्ताक्षर करवा लिया गया और उसी कूटरचित महज्जरनामा को सही के रूप में प्रयोग करते हुए उप रजिस्ट्रार सदर कार्यालय आयोध्या से रजिस्टर्ड करवाया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी है। वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची के माध्यम से आदेश दिनांक 16.01.2024 कार्यालय उपजिलाधिकारी, जनपद लखीमपुरखीरी की छायाप्रति दाखिल की गयी है तथा महन्त शैलेश दास चेला मं0 स्व. रघुवर दास, बाबा केशवदास चेला सीताराम दास त्यागी, महन्त मोहन दास चेला सत्यनारायन दास, महन्त रामदास दयालु, महन्त सिया बिहारी दास, महन्त कमलनयन दास आदि के शपथपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा थाने की आख्या व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर प्रतिष्ठित संतों के फर्जी हस्ताक्षर कर, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज/महज्जरनामा तैयार कर, उसे सही के रूप में प्रयोग करते हुए उप रजिस्ट्रार सदर कार्यालय आयोध्या से रजिस्टर्ड कराने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अभियुक्त रामकुमार दास प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है तथा प्रश्नगत महज्जरनामा दिनांकित 04.04.2025 का पक्षकार है व उपरोक्त महज्जरनामा, उसके द्वारा छल, कपट पूर्वक अपने पक्ष में निष्पादित कराया गया है। प्रश्नगत महज्जरनामें के निष्पादन के समय उपस्थित विभिन्न संतो/महन्तों शैलेश दास चेला मं0 स्व. रघुवर दास, बाबा केशवदास चेला सीताराम दास त्यागी, महन्त मोहन दास चेला सत्यनारायन दास, महन्त रामदास दयालु, महन्त सिया बिहारी दास, महन्त कमलनयन दास द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने हस्ताक्षर से इन्कार किया गया है अथवा अभियुक्त द्वारा जबरन दबाव के अंतर्गत अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु कपटपूर्वक धोखे से हस्ताक्षर कराये जाने का कथन किया गया है।

केस डायरी व अन्वेषण के इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई प्रपत्र व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता हो कि वह, महन्त स्व0 राम स्वरूप दास निमिया बाबा का वैध उत्तराधिकारी है अथवा उनके द्वारा अभियुक्त के पक्ष में कोई वसीयतनामा/महज्जरनामा निष्पादित किया गया हो। थाने की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित

महज्जरनामा दिनांकित 04.04.2025 पर कुल 33 संत महंतो के नाम से हस्ताक्षर किये गये है, जिनका दौरान विवेचना सत्यापन किया गया तो उनमें से कुल 16 महन्तो के द्वारा अपने नाम के हस्ताक्षर को देखकर यह कहा गया कि उस महज्जरनामा पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। किसी ने उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाये है। केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से, कथित अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त रामकुमार दास की भूमिका, प्रस्तुत प्रकरण में अन्य सह–अभियुक्तगण से भिन्न है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए व प्रकरण के गुण दोष पर विचार न करते हुए न्यायालय के मत में, जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतएव जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **रामकुमार दास** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–89/2026 अंतर्गत धारा–319(2),338,336(3),340(2),61(2)(ए) बी.एन.एस., थाना को0 अयोध्या, जिला अयोध्या में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(प्रदीप कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–7
अयोध्या।
जे.ओ.कोड–1619

दिनांक–09.07.2026